

विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा
आदेश

श्री दलेल, सहायक, कार्यालय जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, सोनीपत को हरियाणा सिविल सेवाएं (सामान्य) नियम, 2016 के उप नियम 143(1) के तहत दिनांक 31.03.2022 को बाद दोपहर 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने उपरांत सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

चण्डीगढ़, दिनांक
30.03.2022

रमेश चन्द्र बिढाण, भा0प्र0से0
महानिदेशक विकास एवं पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृ0 क्रमांक एए1-2022/28232-35

दिनांक: 31-3-22

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा, चण्डीगढ़।
2. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, सोनीपत।
3. श्री दलेल, सहायक कार्यालय जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, सोनीपत।
4. ए0ई0/आई0टी0सेल।

12/4/22

SA/II
ksh
21/4/22

brag

उप-अधीक्षक (प्रशा0-1)
कृते: महानिदेशक विकास एवं पंचायत विभाग
हरियाणा, चण्डीगढ़।